

industry, produce all the required drugs in this country and make them available to the people at a very cheap rate. Meanwhile, regarding quality, we have got to find out at what stage this adulteration is taking place. We have got big manufacturing concerns in India. The biggest of them are probably about 120 in number employing a capital of more than Rs. 10 lakhs each and employing hundreds of people. But the rest of them—about 2,000 or 2,500—are small manufacturing concerns. I agree with Dr. Siddhu when he says that the greatest care must be exercised in giving licences to these people. That is a very important thing. I am glad that he has mentioned it. They must ensure that all the pre-requisite conditions are satisfied before a licence is given, whether they have got the proper equipment, whether their premises are good and up to the required standard and whether they have got the proper type of technicians. There should not be any laxity in it. Extreme care must be exercised before giving a licence. Then, at what other stages does adulteration take place? For instance, in the communication system, between the wholesaler and the retailer and the dealer. Probably, in the course of the next few weeks, deputations might call upon the Joint Select Committee. It will have occasion to listen to them also and I hope that it will take into consideration all these aspects and give us a very valuable and substantial report which will enable us to put this Bill into operation.

With these few words, Madam, I would like to put the Bill before the Select Committee.

**THE DEPUTY CHAIRMAN:** The question is:

"That the Bill further to amend the Drugs and Cosmetics Act, 1940, be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 30 members; 10 members from this House, namely:—

1. Shri B. N. Bhargava
2. Shri Bairagi Dwibedy.
3. Shri D. P. Karmarkar.
4. Shri Krishna Chandra
5. Shri Kumbha Ram
6. Shri P. C. Mitra
7. Dr. A. Subba Rao
8. Dr. Shrimati Seeta Parmanand
9. Shri R. S. Khandekar
10. Dr. Jawaharlal Bohatgi.

and 20 members from the Lok Sabha;

that in order to constitute a meeting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that in other respects, the Rules of Procedure of this House relating to Select Committees shall apply with such variations and modifications as the Chairman may make;

that the Committee shall make a report to this House by the first day of the next session; and

that this House recommends to the Lok Sabha that the Lok Sabha do join in the said Joint Committee and communicate to this House the names of members to be appointed by the Lok Sabha to the Joint Committee."

*The motion was adopted.*

**THE DAKSHINA BHARAT HINDI  
PRACHAR SABHA BILL, 1963**

**THE MINISTER OF EDUCATION  
(DR. K. L. SHRIMALI):** Madam Deputy Chairman, I beg to move:

"That the Bill to declare the institution known as the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, having at present its registered

[Dr. K. L. Shrimali]

office at Madras, to be an institution of national importance and to provide for certain matters connected therewith be taken into consideration."

During recent months we have declared several institutions as institutions of national importance. Some of them have been given the University status under the University Grants Commission Act. All these institutions were either started by Gandhiji or were blessed by him. The institutions which have been declared to be Universities under the University Grants Commission Act are the Gujarat Vidyapeeth, the Kashi Vidyapeeth, the Gurukul Kangri and the Jamia Millia. These four institutions which made great contribution to our national movement for freedom have been given the University status under the University Grants Commission Act. The House would remember that some time back I introduced the Bill for the Hindi Sahitya Sammelan. It was passed and the Sammelan was declared an institution of national importance. The only institution which now remains to be recognised as such is the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha. And I am very happy to introduce this Bill today.

The institution was started in 1918 under the inspiring guidance of Mahatma Gandhi. During the last forty-five years of its existence, the Sabha has made great contribution for the development and propagation of Hindi in the southern States. It has a widespread organisation throughout South India comprising the Telugu, Tamil, Malayalam and Kannada speaking regions, an area of about 2½ lakhs of sq. miles, with a population of approximately 10 crores. The Sabha has covered about 6,000 centres so far and has on its rolls nearly 7,000 trained Pracharaks working in all the important centres of South India. The House will be glad to know that through the efforts of this Sabha seven million people have learnt Hindi during the last 45 years.

The Sabha conducts various examinations which have been recognised by the Government. They are Prave-shika, Visharad and Praveen whose standards of Hindi have been recognised equivalent to those of Matric, Intermediate and B.A. by the Government of India for the purpose of employment under them.

I need not go into the detailed machinery of the Sabha which has its own Board of Trustees, the governing body, the executive council and the academic council. The membership of the Sabha consists of:

- (a) Samrakshaks (Those paying a single donation of Rs. 5,000 or more).
- (b) Poshaks (Those paying a single donation of Rs. 1,000 or more).
- (c) Ajeevan Sadasyas (Those paying single donation of Rs. 250).
- (d) Sadharan Sadasyas (Those who pay annual subscription of Rs. 10).
- (e) Sammanya Sadasyas (Honorary members enrolled by the Karyakarani Samiti).

The salient provisions of this Bill are the following. It seeks to declare the Sabha as an institution of national importance. I would refer to clause 3. Then it also empowers it to grant degrees, diplomas and certificates for proficiency in Hindi and in the teaching of Hindi under clause 4. It leaves the Sabha to regulate its own affairs in accordance with the provisions of its memorandum, rules and regulations.

We have taken care that the Government does not interfere in the working of the institution in any way as far as possible and the freedom and the autonomy of the institution is fully protected. It provides that the objects of the Sabha shall not be

altered, extended or abridged, or the memorandum or the rules and regulations of the Sabha shall not be altered or amended, or the Sabha shall not be dissolved without the previous approval of the Central Government. This is contained in clause 6.

It empowers the Central Government to review the work done by the Sabha and to give appropriate directions to the Sabha on the basis of the results of such review. The Sabha will be bound to carry out such directions. This is the only way in which a national institution can be helped by the Government to fulfil its purposes and functions. The Government must ensure that the purposes for which the institution was founded are fully fulfilled.

The financial position of the Sabha is sound and there is no expenditure from the Consolidated Fund of India because of this legislative measure. Its assets are worth several lakhs of rupees in the shape of buildings and equipment. The annual income of the Sabha during 1961 was Rs. 6,30,577 which was derived from examination fees and miscellaneous items. The total expenditure during the same period was Rs. 6,29,565 resulting in a saving of about Rs. 1,012. The total annual budget of the Sabha including its affiliated branches is in the neighbourhood of Rs. 15 lakhs.

Now, this is an example of how a voluntary organisation which has a band of dedicated and devoted workers can function. The Government gives them grant under the various schemes of voluntary Hindi organisations. Those grants, of course, will be continued but there is no additional expenditure on account of the introduction of this Bill.

Under clause 5 the Bill empowers the Central Government to prescribe the form in which accounts of the Sabha shall be maintained and its annual statement of accounts and balance-sheet shall be prepared. This

is the normal kind of delegation. The accounts are to be audited by a chartered accountant under clause 5.

4 P.M.

I have said that there is very little, practically no interference on the part of the Government and the Sabha will continue to function under its existing rules and regulations. The only control, if it can be called a control, is that under clause 6 there is a provision for prior approval of the Central Government for alteration, extending or abridging any of the purposes or amalgamation of the Sabha, either wholly or partially, with any other institution or society. Since this is going to be an institution of national importance it is important that the purposes and functions of the Sabha should not be altered without the prior approval of the Government nor should there be an alteration or amending of the memorandum and rules and regulations. The Central Government has also the power to appoint a committee for reviewing the work done by the Sabha during a specified period and the progress made by it and it can evaluate the work done by the Sabha. Therefore, clause 7 seeks to provide that the Central Government may issue such directions as it deems fit, after giving the Sabha an opportunity to make representations, if any, in respect of any of the matters dealt with in the report and the Sabha shall comply with such directions. Of course, I have no doubt in my mind that there will be very few occasions when the Government exercises this power and when it exercises, it will always be for the betterment of the Sabha.

Madam, with these few words, I move.

*The question was proposed.*

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY in the Chair).]

SHRI P. K. KUMARAN (Kerala):  
Sir, this Bill is a welcome one. The Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha

[Shri P. K. Kumaran.]  
 is a very old organisation. There were days in the South when learning Hindi was considered as participation in the national movement itself. We were learning Hindi in those old days when the national movement was weak, when studying itself was considered as an important work. From those days up to this day, it has grown into a big organisation. A number of people have learnt Hindi. The movement has developed. India has become free. So, it is only in the fitness of things that such an organisation is given the importance which this Bill seeks to confer on it.

There is no doubt that we must have a national language. Whatever may be the controversy over the introduction of Hindi as a State language or regarding the process or method or its pace, it is necessary that a national language will have to be evolved and the sooner the better. So from this aspect also strengthening this organisation and also financially facilitating the organisation to spread its activities to as wide an area as possible, is very necessary. This organisation mainly functions in an area where Hindi was practically unknown. Hence even for doing work and also for the people to learn Hindi a certain incentive has got to be there.

While the propagation of Hindi is a necessary thing, I hope it will be recognised that taking into consideration the literary content of the Hindi language as it is, some of the Southern languages and even some of the regional languages are far superior. This is one of the reasons why there is some resistance. Also the controversy over the language is of recent origin. While doing this, I think the Government should take measures so that the artists, writers of short stories, etc., are encouraged in the production of literature which will go down among the people easily, which will be enjoyed by the people easily. We should encourage people who participate in such activities. Some such measures have to be taken by the

Government. That was long overdue. Regarding the financial arrangement, the Minister said that at present there was no commitment on the part of the Government but I believe that the Government will have to come in and there should be a provision so that grants necessary for improving the activities and spreading the activities of the Sabha widely can be made.

With these words, I support this Bill.

श्री भगवत नारायण भागवत (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी को दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा विधेयक लाने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि डा० श्रीमाली ने शिक्षा के सम्बन्ध में जो प्रशासकीय कार्य किया है वह सब को विदित है। उन्होंने हिन्दी और संस्कृत की उन्नति और प्रसार के लिए, हिन्दी संस्थाओं के लिए जो स्तुत्य काम किया है वह भारतवर्ष कभी नहीं भूल सकता है।

कुछ थोड़ी व्यक्तिगत बात मैं कहूँगा, आप क्षमा कीजियेगा। मुझे दुःख है कि वे हम लोगों को छोड़ कर जा रहे हैं परन्तु मैं इस बात का है कि वे देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं एक उच्चतर प्रांगण में जहाँ वे वे अधिक सेवा कर सकेंगे।

दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना सन् १९१८ ई० में हुई इस से यह नहीं समझना चाहिये कि दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार का काम सन् १९१७ ई० से ही प्रारम्भ हुआ। वास्तव में बागरी प्रचारणी सभा के द्वारा, महामत्ता मालवीय जी के द्वारा और स्वामी सत्यदेव परिव्राजक द्वारा भारत के दक्षिण भागों में हिन्दी का प्रचार बहुत पहले से ही किया जा रहा था। सन् १९१९ में जब लखनऊ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और मालवीय जी बोलने के लिए खड़े हुए तो आवाजें उठीं "इंगलिश, इंगलिश, इंगलिश" और कुछ लोगों ने चिल्ला कर "हिन्दी, हिन्दी, हिन्दी" कहा। मालवीय जी एक सेकन्ड को रुके और जो लोग "इंगलिश इंगलिश" चिल्ला

रहे थे उस लो में को छोट कर का, "तुम स्वराज्य चाते हो, अपनी देश को स्वतंत्र करना चाहते हो और अंग्रेजी को शरण देना चाते हो, 'अंग्रेजी अंग्रेजी' बिल्लासे हो, तुम्हें कम अपनी भाषा में ।"

उसी साल हिन्दी की ओर बढ़े-बढ़े नेताओं का ध्यान गया । उसी साल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिन्दी की ओर ध्यान दिया और उन्होंने हिन्दी में लिखना पहला आरम्भ कर दिया । अब वे अपने मित्रों को पत्र लिखते थे—उनमें से एक में भीया— जो हिन्दी में लिखते थे । उन्हें ठीक हिन्दी लिखना नहीं आता था इसलिए वे अपने मित्रों को पत्र में लिखते थे कि इस पत्र को पढ़ कर खो गसती या छुटियां हों उन्हें सुधार कर पत्र मुझ पापस कर देना । इसी प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित मोतीलाल नेहरू इत्यादि का ध्यान हिन्दी की ओर गया । जवाहरलाल नेहरू जी ने सन् १९१६ से हिन्दी को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था और अंग्रेजी न रखने की इतनी प्रबल भावना थी कि उस खद्गार को उन्होंने अपने "अंग संविदा" में इस प्रकार लिख कर दिया :

"Every Indian youth, because he reaches his knowledge through the English language, lost at least six precious years of his life."

And then again—

"The foreign medium has caused brain fag, put an undue strain upon the nerves of our children, made them crammers and imitators, un-fitted them for original work and thought, and disabled them for filtering their learning to the family or the masses. The foreign medium has made our children practically foreigners in their own land. It is the greatest tragedy of the existing system. If I had the powers of a despot, I would today stop the tuition of our boys and girls through a foreign medium and require all the teachers and professors, on pain

of dismissal, to introduce the change forthwith. I would not wait for the preparation of text-books. They will follow the change. It is an evil that needs a summary remedy."

इतनी जोर की भावनायें उन्होंने प्रकट कीं । उसके बाद ही महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सहयोग से सन् १९१८ में एक भाषा और एक लिपि सम्मेलन की स्थापना की जिसका मैं उत्तर प्रदेशीय भाषा का मंत्री था । उस सम्मेलन का उत्सव दिल्ली में सन् १९१८ में हुआ था । उसी समय इस बात का भी निश्चय किया गया कि दक्षिण में कोई ऐसी संस्था होनी चाहिये जिसके द्वारा हिन्दी की शिक्षा का प्रसार और प्रचार हो सके और उसी समय यह संस्था स्थापित की गई ।

इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी ही केवल ऐसी भाषा है जो राष्ट्र भाषा हो सकती है और जिसके द्वारा देश में शासकीय कार्य अथवा शिक्षा के कार्य हो सकते हैं । इस संस्था के उद्देश्य तो बहुत से हैं । परन्तु मैं मुख्य उद्देश्यों की ओर ध्यान दिखाना चाहता हूँ । उन्होंने उद्देश्यों में पहले यह कहा है :

"The object of the Sabha is to spread the knowledge of Hindi as specified in article 351 of the Indian Constitution, in the areas in South India where Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada are spoken."

जो हमारे संविधान की धारा ३५१ है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । सब सदस्य उसको जानते हैं कि उसके द्वारा इस बात की प्रेरणा दी गई है कि भारतवर्ष की जो संस्कृति है, उसके जो मूलधार हैं, उनके विकास के लिये यह आवश्यक है कि हिन्दुस्तान में और जो भाषायें हैं हिन्दी के अतिरिक्त उनकी सब की उन्नति हो और हमें हिन्दी को पुष्ट बनाना है, हिन्दी का परिवर्धन करना है । तो और भाषाओं में से भी

[श्री भगवत नारायण भार्जव]

जो हम शब्द से सके उनको लेकर के हम इसका प्रसार करेंगे। ऊपर के दो शब्द इसके प्रमुख हैं, जो इस प्रकार हैं :

"It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment without interfering with its genius."

मुख्य-मुख्य काम जो इस संस्था ने अपना रखे हैं वे ये हैं कि हिन्दी भाषा, हिन्दी साहित्य और देवनागरी लिपि की उन्नति, प्रसार और प्रगति भारत में तथा विदेशों में करे और जहाँ आवश्यक हो वहाँ दक्षिण भारत की भाषाओं का भी प्रचार करें। यह बड़े महत्व की बात है कि हिन्दी के प्रसार के लिये और प्रचार के लिये यह संस्था बनी है, मगर वे कहते हैं कि जहाँ आवश्यक होगा वहाँ हम दक्षिण भारत की भाषाओं का भी प्रचार करेंगे। इस संस्था के उद्देश्य बड़े स्तुत्य हैं। हम किसी प्रकार की ऐसी जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं कि दक्षिणवासियों को कोई कठिनाई हो, उन पर हम जबरदस्ती हिन्दी लाद दें। यही हमारी सरकार का उद्देश्य है और यही हम सब लोग चाहते हैं कि प्रेम को भावना से और देश की राष्ट्रभाषा के प्रति हमारा जो प्रेम है, उसको आगे रख करके हम आगे बढ़ें जिसमें कि सारे देश में, जिसमें दक्षिण भारत के क्षेत्र भी शामिल हैं, सब मिल करके इसकी अपनावें और इनको ही एक मात्र राष्ट्रभाषा मानकर सारा शसकोय कार्य और देश के अनेक कार्य इसी के द्वारा हों।

इसका दूसरा उद्देश्य यह है कि हिन्दी तथा दक्षिण भारत की भाषाओं में साहित्य का निर्माण तथा प्रकाशन। फिर वही बात उन्होंने दोहराई है कि हिन्दी का प्रसार तो करेंगे, लेकिन दक्षिण भारत की जो भाषाएं

हैं, उनके साहित्य का भी हम निर्माण और प्रचार करेंगे। देखिये इसका कितना अच्छा उद्देश्य है कि हिन्दी की भी उन्नति हो और साथ-साथ दक्षिण भारत की भाषाओं की भी उन्नति हो।

तीसरा उद्देश्य है हिन्दी के द्वारा परीक्षाएं आदि लेना।

चौथा है हिन्दी भाषा में प्रशिक्षण के लिये स्कूल, कालेजों की स्थापना करना और हिन्दी अध्यापकों का प्रशिक्षण करना।

पांचवां है हिन्दी में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना।

इस प्रकार यह संस्था अपने निधि-पालक मंडल, व्यवस्थापक समिति, कार्य-कारिणी समिति और शिक्षा परिषद् के द्वारा अपने कार्य का संचालन कर रही है।

हमारी सरकार ने भी दक्षिण में हिन्दी के प्रसार के लिये बहुत से काम किये हैं और बहुत से काम हो रहे हैं। उनके सम्बन्ध में मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। हिन्दी के अध्यापकों की नियुक्ति के लिये सरकार ने काफी रुपया बजट में रखा और उसके लिये अनुदान दिया। "Appointment of Hindi teachers in non-Hindi speaking States" इसके लिये सन् १९६२-६३ में ९ लाख रुपये थे और पता नहीं किस कारण से सन् १९६३-६४ में वे ८ लाख रुपये कर दिये गये। इसके अतिरिक्त सन् १९६१-६२ में केरल और मैसूर के प्रदेशों में हिन्दी के टीचर्स ट्रेनिंग कालिज स्थापित किये गये और मद्रास में भी एक दूसरे कालेज को सहायता दी गई। इसी प्रकार से जहाँ हिन्दी भाषा नहीं है, जैसे दक्षिण भारत में वहाँ विद्यार्थियों के शिक्षण के लिये और हिन्दी के सम्बन्ध में अनुसंधान करने के लिये गवर्नमेंट ने ६ लाख ७२ हजार रुपये ३७२ विद्यार्थियों को दिये और सन् १९६२-६३ में २२०

बजीफों की स्वीकृति हुई है। इसी प्रकार से उन्हीं क्षेत्रों के लिये बिना मूल्य के विविध स्कूलों, पाठशालाओं और लाइब्रेरियों में १ लाख ८० हजार रुपये की पुस्तकों का वितरण किया गया है। हिन्दी और तामिल की ग्राइमर और पुस्तकें इसी सभा के द्वारा जिसके सम्बन्ध में यह बिल है, मद्रास में मिनिस्ट्री की ओर से तैयार कराई गई है। मेरे यह कहने का तात्पर्य यह है कि मैं मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे कृपा करके यह अवश्य बतलावें कि ये काम जो हो रहे हैं इनके अतिरिक्त इस सभा को, जब राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर दिया है तो इसको क्या विशेष मुविधायें आर्थिक रूप से दी जाएगी; क्योंकि अभी उन्होंने जो थोड़ी चर्चा की उसमें उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ बतलाया नहीं। जब कि इस संस्था के ऊपर सरकार की ओर से नियंत्रण रहेगा तो मैं आशा करता हूँ कि इस संस्था के कार्य के प्रचार और प्रसार के लिये सरकार अवश्य ऐसी धन-राशि हर साल बजट में रखेगी, जिससे कि वास्तव में इसका काम आगे बढ़ सके।

मैं कहता हूँ कि कुछ लोगों की यह गलत धारणा है कि दक्षिण में लोग हिन्दी को नहीं अपनाना चाहते हैं। कुछ लोग, जिनको मैं हठधर्मी कहूँगा, वे ऐसा कहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि वहाँ की जनता, वहाँ के विद्यार्थी हिन्दी से प्रेम करते हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि कुछ ऊँचे अंग्रेजी के विद्वान, जिनको अंग्रेजी से केवल मोह हो गया है, यद्यपि वे जानते हैं कि देश में कुल जनसंख्या का १.६ प्रतिशत केवल अंग्रेजी जानने वालों का है, वे लोग ही हिन्दी का विरोध करते हैं। वरन्त आप देखेंगे कि ओ. आफिशियल लैंग्वेज (सरकारी भाषा) कमिशन १९५६ के सामने मद्रास सरकार ने उत्तर भेजा था, उससे स्पष्ट होता है कि यद्यपि वहाँ हिन्दी अनिवार्य नहीं है, केवल वैकल्पिक विषय है, फिर भी वहाँ कितनी संख्या में लोग हिन्दी

पढ़ रहे हैं। सन् १९५२-५३ में जब कि आंध्र अलग नहीं किया गया था और मद्रास में शामिल था, तब ७८.६ प्रतिशत विद्यार्थी वहाँ पर हिन्दी की शिक्षा पा रहे थे। फिर सन् १९५३-५४ में ८२.६ विद्यार्थी हिन्दी में शिक्षा पा रहे थे और सन् १९५४-५५ में जब कि आंध्र अलग हो गया, तब ७९.९ परसेंट विद्यार्थी हिन्दी में शिक्षा पा रहे थे। इससे स्पष्ट है कि उनके ऊपर कोई अनिवार्यता नहीं होने पर भी इनने विद्यार्थी हिन्दी पढ़ते थे। यह कम्पलसरी नहीं था - कम्पलसरी ही तो पढ़ना ही पड़े। लेकिन कम्पलसरी न होते हुए भी, आगनल सबजेक्ट होने हुए भी, वहाँ यह हालत १९५४-५५ में थी। आगे के आकड़े उपलब्ध नहीं हैं नहीं तो उनको भी बताता।

तो मेरा निवेदन यह है कि इस संस्था के द्वारा जो कार्य हो रहा है, उसको अगर हम ध्यान में रखें और विशेषकर हम सब हिन्दी भाषा-भाषी ध्यान में रखें कि हमें हिन्दी की प्रगति करना है तो दक्षिण के लोग तो इसके लिये तैयार बैठे हैं। मैं तो समझता हूँ कि कुछ दिनों में उनकी ओर से ही इस बात का प्रस्ताव आयेगा कि अब हिन्दी में सारा कार्य होना चाहिये। मैं अपने सच्चे हृदय से कहता हूँ कि अगर हिन्दी की प्रगति नहीं हो रही है तो इसमें दक्षिण के भारतीयों का बिलकुल दोष नहीं है, अगर दोष है तो उनका है जो कि हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेश के होते हुए भी अंग्रेजी के माह में फसे हुए हैं। हिन्दी के विद्वान भी अंग्रेजी में बोलने का मोह रखते हैं।

**श्री श्रील भद्र थाबी (बिहार) :** यहाँ भी अंग्रेजी में बोलते हैं।

**श्री भगवन्त नारायण भार्गव :** हिन्दी और संस्कृत के विद्वान इसमें अपना शान समझते हैं कि अंग्रेजी में बोलें। वे उर्दू में बोल सकते हैं, हिन्दी बोल सकते हैं, हिन्दुस्तानी बोल सकते हैं मगर बोलेंगे अंग्रेजी में। प्रधान मंत्री जी

[श्री भगवत नारायण भार्यव]

वे ठीक कहा था कि अंग्रेजी पढ़े लोग अपने को ऊंचा मानते हैं। एक रूस के विद्वान प्रोफेसर चेलीशेव ६ सितम्बर १९६१ को प्रगतिशील लेखक सम्मेलन में दिल्ली आये थे, उन्होंने इस बात पर बड़ा दुःख प्रकट किया कि यहाँ के लोग आपस में अंग्रेजी बोलते हैं, सभाओं में अंग्रेजी बोलते हैं। उन्होंने कहा "दुःख प्रकट करता हूँ कि यहाँ के शिक्षित लोग अंग्रेजी का प्रयोग बातचीत में भी करते हैं और दूसरी जगह भी करते हैं। रूस में हिन्दी की प्रगति हो रही है। हिन्दी विश्व की एक प्रमुख भाषा होगी।" ये उनके शब्द हैं। हिन्दी विश्व की प्रमुख भाषा होगी — यह एक विदेशी रूस का रहने वाला, हिन्दुस्तान में आकर कहता है। गांधी जी के शब्दों में अंग्रेजों की गुलामी गई, अंग्रेजी की गुलामी शेष है।

इस संस्था की स्थापना के बाद दक्षिण भारत में हिन्दी का काफी प्रचार हो चुका है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि सभा के ६,००० केन्द्र अब तक खुल चुके हैं और उनके ७,००० प्रशिक्षित प्रचारक हैं किन्तु इन सेंट्रों की संख्या को और प्रचारकों की संख्या को अगर वह बढ़ाना चाहें तो उनके पास धन नहीं है। जो मंत्री जी ने आंकड़े बताये हैं कि इतनी आमदनी है और इतना खर्च है और उसके बाद उनके लिये कुछ बचता नहीं है, इस सम्बन्ध में मैं सरकार से इस बात की अपील करूँगा कि सेंटर खोलने के लिये और प्रचारक रखने के लिये वह जितना अधिक से अधिक रुपया मागे उतने रुपये का प्रावधान हमारे बजट में होना चाहिये।

अब समय आ गया है कि दक्षिण भारत के लोग हिन्दी के राष्ट्र भाषा होने और हिन्दी में सारे शासकीय कार्य होने के प्रश्न पर सबसे आगे बढ़ें और मुझे आशा है कि वे आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और सरकार से इस बात की प्रार्थना करता हूँ कि धारा ७ में उनके काम के निरीक्षण के सम्बन्ध में सरकार ने जो अपना

अधिकार रखा है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको बराबर इस बात की प्रेरणा दी जावे कि वे उत्तरोत्तर अपने क्षेत्र का प्रसार करके जावें और हिन्दी भाषा के नये-नये बिबालब खोलते जायें और तेलुगु, तामिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं की ऐसी पुस्तकें बनाई जायें कि उन भाषाओं का उल्था हिन्दी में हो और हिन्दी का उनमें हो, जिससे कि वहाँ के लोगों को हिन्दी सीखने में आसानी हो और वही पुस्तकें हमारे वहाँ भी काम में लाई जा सकें क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि दक्षिण की भाषा हम लोग सीखें। तो इन सब कामों के लिये अधिक से अधिक धन की आवश्यकता होगी और मैं आशा करता हूँ कि सरकार इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं करेगी और सभा को हर प्रकार की सहायता देगी।

श्री शील भद्र याजी : माननीय वाइस-चेयरमैन महोदय, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का जो बिल है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत इसलिये करता हूँ कि हमारी सरकार ने बहुत दिनों के बाद यह उचित समझा कि जो संस्थायें ४५ वर्ष से दक्षिण में हिन्दी भाषा की सेवा कर रही थीं उसको अब मान दिया जाय तथा उसको डिप्लोमा डिग्री और सर्टिफिकेट आदि देने का अधिकार दिया जाय। यद्यपि सरकार के लिये मुनासिब तो यह था कि जब हमने संविधान में हिन्दी को सरकारी भाषा घोषित किया था तब ही यह विधेयक लाती। सन् १९५० में ही यह विधेयक आना चाहिये था और अगर तब यह विधेयक आया होता तो इन १२-१३ वर्षों में हिन्दी का जोर-शोर से तामिलनाडु में, आंध्र में, कर्नाटक में और केरल में प्रचार होता और उससे राष्ट्र-भाषा की ज्यादा उन्नति होती और उसको ज्यादा से ज्यादा लोग समझते भी।

सन १९१८ में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा कायम हुई और इन ४५ वर्षों में इसने किस तरह की सेवा की है इसके



आकड़े देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने बताया है कि इन प्रांतों में जहां १० कोटि लोग रहते हैं वहां इसके ६,००० केन्द्र हैं और करीब ७,००० प्रचारक हैं और करीब १ कोटि के लोग हिन्दी भाषा सीख गये हैं । उन्होंने एक बहुत लम्बी तालिका, सूची, भी दी कि काशी विद्यापीठ आदि को यूनिवर्सिटी का स्थान दिया गया है, इसलिये इस संस्था की भी उन्नति करनी है ।

हमारे राष्ट्र के कर्णधारों ने, खास कर के गांधी जी ने यह महसूस किया, अनुभव किया कि जब देश आजाद होगा तब सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में एक राष्ट्रभाषा की जरूरत पड़ेगी—वह कितने दूरदर्शी थे कि १९१८ में इसको अनुभव किया और उसी समय से कुछ नेताओं ने, जिनमें कि हमारे श्री राज-गोपालाचारी वर्ग रह हैं, इसके लिये प्रयत्न किया, उन लोगों की यह देन है और १९१८ में इसकी स्थापना हुई । जब वह मद्रास प्रान्त के चीफ मिनिस्टर हुए थे तो हिन्दी पढ़ाने के लिये कई हजार लोगों को जेल भी भेजा । तो अब कुछ राजनैतिक सिद्धांत का झगड़ा है और बहुत सी दूसरी बातें हैं, जैसे कि द्रविड़ मूत्रैव कषगम के जो लोग हैं, उनकी बात है और यह भाषा का झगड़ा नहीं है बल्कि राजनैति का झगड़ा है, इसलिये तरह तरह की बात सामने आ जाती है । लेकिन उस समय हमारे दूरदर्शी नेताओं ने यह आवश्यक समझा कि दक्षिण भारत में जहां १० कोटि लोग रहते हैं, वहां यदि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा कायम की जाय तो उससे भारतवर्ष का बड़ा भला होगा । अब इतने दिनों तक उस संस्था के काम करते-करते जैसे कि आंकड़े दिये गये हैं उनके मुताबिक बहुत से लोगों ने हिन्दी सीख ली है ।

अब देश को आजादी के बाद, संविधान बनने के १३ वर्ष बाद हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने यह जो कदम उठाया है वह बहुत सराहनीय कदम उठाया है । मैंने इस बारे में उनकी कुछ शिकायत की लेकिन वह उनकी

नहीं बल्कि सरकार की शिकायत की है क्योंकि वह इन वर्षों में बराबर तो शिक्षा मंत्री नहीं थे और मेरी यह शिकायत इस सरकार से बराबर रहेगी कि जिस संस्था ने १९१८ से ले कर अब तक बिना पैसा-कौड़ी लिये काम किया और जिसके प्रचारकों ने, जो कि ७,००० के करीब हैं, बिना वेतन लिये हुए उन क्षेत्रों की खिदमत की, उनको मान देने, इज्जत देना का विधेयक बहुत दिनों के बाद लाया जा रहा है । मैंने शुरू में अपनी सरकार से शिकायत की कि इसको संविधान के पास होने के बाद आना चाहिये था । लेकिन फिर भी देर आयद दुस्त आयद और ठीक तरह से जो यह बिल रखा गया है इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं, कम से कम उन्होंने इसकी उपयोगिता समझी इसलिये वे बधाई के पात्र हैं, उन्होंने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को उचित मान और इज्जत दी है और उसको अधिकार संपन्न करने का जो सराहनीय कदम उठाया है, उसको हिन्दुस्तान के जो लोग सरकारी भाषा हिन्दी को मानते हैं उन्होंने माना है । मैं तो कहता हूं ४५ कोटि हिन्दुस्तान की जनता उनकी ऋणी रहेगी । लेकिन कदम जो उठा है, यह ठीक तरह से नहीं उठा है । एक यूनिवर्सिटी का स्वरूप इसको साधा देना चाहिये था । इसको राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का जैसा स्थान देना चाहिये ठीक है, आप कहते हैं वे सार्टिकिफिकेट देंगे, डिप्लोमा देंगे, डिग्री देंगे, आप यह भी कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से इसको मदद नहीं मिल रही थी । लेकिन सरकार को चाहिये कि दूसरी तरह से दिल खोलकर उस संस्था को मदद करें; क्योंकि जहां सरकारी भाषा पढ़ाने की आवश्यकता है वहां आपको ज्यादा रुपया खर्च करना चाहिए, लेकिन वह अभी नहीं कर रहे हैं आप । आपने कह दिया हो सकता है कि भविष्य में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से मिल जायेगा । वहां पर जो थोड़ी-थोड़ा प्रसादी मिलती है वह प्रसादी मिलेगी तो उस प्रसादी से तो यह बड़ा

[श्री शैल भद्र याज्ञ ]

विशाल काम होने वाला नहीं है। इसलिये यह जरूरी है कि तमिलनाडु, आन्ध्र, केरल और कर्नाटक जो ये चार प्रांत हैं जहां १० कोटि जनता बसती है, जहां सब लिपियों में आपस में मिलान नहीं होता है लेकिन जो सब संस्कृत निष्ठ हैं, जैसे मलयालम में, तेलगू में, कन्नड में अधिकांश शब्द संस्कृत के हैं और तमिल में कुछ कम है, उस क्षेत्र में जब तक यह सस्था और इसके कार्यकर्ता लोग जोर-शोर में काम नहीं करेंगे तब तक सरकारी भाषा का प्रचार ठीक ढंग से नहीं हो सकेगा, और मारी सरकार ने जो यह कदम उठाया है उसमें उसको सफलता ज्यादा नहीं मिलगी, और ज्यों ज्यों देरी होती है उससे मारे मुख लफोको तरफ से तर तरह की विरोधता बढ़ती जायेगी। खुद उन्होंने, जिन्होंने हिन्दी का आंदोलन शुरू किया था, मात्मा गांधी के साथ और जिन्होंने इस प्रश्न को लेकर जब वे मद्रास के चीफ मिनिस्टर थे तो १२,०००-१३,००० आदमियों को जेल भेज दिया आज वे ही इन्विड मुन्नेत्र कषगम की मदद कर रहे हैं तथा हिन्दी का विरोध कर रहे हैं। तो अभी तो य तमिलनाडु तक सीमित है आगे और भी शुरू करेंगे। इसलिये अभी से म दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को मदद दें और जिस तर से आपने उसको मान दिया है उसी तर से धन भी देना चाहिये। जितना धन आप सरकारी महकमों में इधर उधर हिन्दी के प्रचार में लगायेंगे उतना धन इनके जो कार्यकर्ता हैं, हिन्दी प्रचारक हैं, जो कि एक मिशनरी स्प्रिट से काम करते आ रहे हैं, उनको दीजिये और बल्कि ज्यादा से ज्यादा दीजिये।

य ठीक है, बड़ी खुशी की बात है कि आपने इनको डिप्लोमा, डिग्री देने का, सर्टिफिकेट देने का अधिकार दिया है, जो अधिकार आपने अन्य विद्यापीठों को प ले दे दिया था। इस सभा को भी बहुत पहले य अधिकार देना चाहिये था लेकिन मैंने पहले कह दिया कि देरी हो गई, भूल हो गई थी

लेकिन अब इनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार और धन देना चाहिये। इन लोगों ने उस समय से हिन्दी प्रचार का काम किया जब हिन्दी को राज भाषा का स्थान नहीं था। वैसे तो मारी जो कांग्रेस सस्था है उसने शुरू से य मान लिया था कि हिन्दी को या हिन्दुस्तानी को जो कहिये गांधी जी ने उसका नाम हिन्दुस्तानी रखा था उसको राष्ट्रीय स्वरूप दे दिया था और स्वतंत्रता के बाद उसको राजभाषा के रूप में स्थान दिया। तो इसके लिए वे बघाई के पात्र हैं जैसे कि मंत्री जी य विधेयक लाने के लिये बघाई के पात्र हैं। तो ये जो दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रचारक भाई हैं उन्होंने शुरू से, सन् १९१८ से, इन पैतालीस वर्षों में राष्ट्र भाषा की लगातार खिदमत की है और उसको इतना बड़ा भारी ब्रिज बनाया कि आज उनको इस तर से सभा का राष्ट्रीय महत्व का स्थान मिलने जा रहा है। इस लिये अब जरूरत य है कि इनको ज्यादा धन सरकार की और से तथा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिश्न से मिषना चाहिये। यदि सरकार य समझती है कि मारे संविधान में हिन्दी को जो राज भाषा का, सरकारी भाषा का स्थान मिला है, वह साकार हो तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से और कैबिनेट से अपील करता हूं कि इसको करोड़ों रुपये दे कर उस ब्रिज को और बड़ा बनाया जाय और उसको अधिकार दिया जाय कि उसके ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता इकट्ठा हों। उनके यहा से जो विद्यार्थी छात्र और छात्राये निकलें उनको भी इज्जत होनी चाहिये और उनकी डिग्री किस तर की मानी जाये एम० ए० या बी० ए० यह भी निश्चय होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं और सरकार से फिर पुरजोर शब्दों में आग्रह करूंगा कि वह य न देखे कि कितना खर्च होगा। यदि करोड़ों रुपये देने का आवश्यकता हो तो एक सार्वदेशिक भांडा बनाने को दृष्टि से इस कार्य के लिए बे। हमारा राष्ट्रीय

संतति के लिये और एकता के लिये एक राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता है। अंग्रेजों ने साम्राज्यवाद फैलाने के लिये अपनी भाषा, जो हमारे लिये विदेशी भाषा थी, उसमें हमारे बेश को बांधा। जितनी भी ये भाषाएं हैं, कन्नड़ है, गुजराती है, बंगला है, सब एक मां की बेटी हैं। हिन्दुस्तान की जितनी भाषाएं हैं वे संस्कृत भाषा की बेटी हैं। हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा का स्वरूप हमने दिया है और जब तक इसकी तरक्की नहीं होगी, ज्यादा लोग इसको समझेंगे नहीं तब तक राष्ट्रीय एकता और एक जवान नहीं बन सकती है। इस लिये जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने एक संस्कृत भाषा के माध्यम से एकता पैदा की, फिर चार धाम करने की भावना पैदा की, जिससे एक कोने के लोग दूसरे कोने के लोगों से परस्पर मिलें जुलें, वैसे ही आज हमें सोचने की जरूरत है। हमारे भार्गव जी ने कहा कि जिस तरह से हमने राष्ट्र भाषा हिन्दी रखी है, हम चाहते हैं कि हमारे उत्तर भारत के रहने वाले लोग दक्षिण की भाषाओं को समझें। दक्षिण की जो तमिल भाषा है, तेलगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उसको बोलने वाले उत्तर भारत में उन भाषाओं को सिखायें तो उनको प्रचार करने में सहूलियत होगी। तो यह जो उनका विचार है उससे हमारी राष्ट्रीय एकता बढ़ती। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से जो आपने रखा था कि १९६५ से हिन्दी का प्रयोग राजभाषा के रूप में होने लगेगा उसमें जो आपको दिक्कत हो रही है तो मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी जिसको सरकारी भाषा कहते हैं— वैसे तो हमारी जितनी भी चौदह भाषायें हैं सब हमारी राष्ट्रीय भाषायें हैं, इसलिये मैं हिन्दी को सरकारी भाषा बोलता हूं राष्ट्र भाषा नहीं बोलता हूं—तो उस सरकारी भाषा को प्रचारित करने के लिये जो कदम आपने उठाया है वह सराहनीय उठाया है और ज्यादा से ज्यादा उनको मदद करे, उनके कार्यकर्ताओं की हिम्मत बढ़ायें। इस तरह से यदि करेंगे तो हम समझत हैं कि बहुत निकट भविष्य में सारे

हिन्दुस्तान में एक भाषा का प्रचार होगा, अपनी अपनी भाषायें तो राष्ट्रीय भाषायें होंगी; लेकिन इसके साथ केन्द्रीय सरकार की ओर से एक चीज यह हो सकती है कि जितनी यूनिवर्सिटीज, जितने विश्वविद्यालय सारे हिन्दुस्तान में हैं, सब में एक ही राष्ट्र भाषा के माध्यम में पढ़ाई हो जैसे पहले अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई होती थी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): You had come to your concluding sentence three times and you are going back again. There are many speakers. Please conclude.

श्री शीलभद्र याजी : माननीय वाइस चेयरमैन सा ब, आप घंटी बजा दीजिए, हमको मालूम है समय काफी है। समय है इसलिये जरा लोभ हो जाता है बोलने का। मैंने यह भी समझ लिया था कि वक्ताओं की संख्या कम है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): You had come to the conclusion and that is why I said. Please conclude now.

श्री शीलभद्र याजी : तो इन शब्दों के साथ मैं यह राष्ट्रभाषा के प्रचार के सम्बन्ध में जो कदम उठाया गया है उसके बारे में फिर श्रील कर्णाग कि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्सा न दें।

श्री रमेशचन्द्र शंकर राव खांडेकर (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्रालय द्वारा दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का जो यह विधेयक इस सदन के सामने लाया गया है इसका मैं अर्द्ध स्वागत करता हूं। यह बात सही है कि दक्षिण भारत में इस संस्था ने हिन्दी के प्रचार के लिये जो काम किया है वह काफी सराहनीय है। शिक्षा मन्त्री जी ने बताया कि इस संस्था ने आज तक पैंतालीस वर्षों में कितना काम किया, उसके कितने प्रचारक हैं और उसमें कितने लोगों ने

[श्री रमेश चन्द्र शंकर राव खांडेकर]

हिन्दी की शिक्षा पायी है। जैसे बहुत से वक्ताओं ने कहा कि यह विधेयक बहुत देर से लाया गया है, मेरी भी यही मान्यता है कि इस तरह का कार्य करने वाली संस्था को बहुत पहले सरकारी मान्यता मिल जानी चाहिये थी और हो सके तो उसको विश्वविद्यालय का स्थान दिया जाना चाहिये था।

आज कहने की आवश्यकता नहीं है, न दोहराने की आवश्यकता है कि इस देश में अगर हमें राष्ट्रीयता को कायम करना है तो एक भाषा की बहुत आवश्यकता है। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रान्तों के लोग और भिन्न भिन्न जाति के लोग एक साथ आते हैं और राष्ट्रीयता पैदा होती है। आज हमारा देश जिस संकट अवस्था से गुजर रहा है उसमें एक भाषा की जितनी आवश्यकता है उसके बारे में बराबर यहां पर चर्चा होती रहती है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की जो भाषा हो सकती है वह हिन्दी होनी चाहिये।

अब हिन्दी का स्वरूप कैसा हो, उसके बारे में काफी मतभेद हो सकते हैं। शायद जो पंडित लोग हैं जो हिन्दी वे बोलते हैं उसको चाहते हों या जो हिन्दी मैं बोल रहा हूं, जिसमें भिन्न भिन्न भाषा के शब्द आते हैं, वह हिन्दी होनी चाहिये। लेकिन एक बात निश्चित है कि अगर हमें इस देश में राष्ट्रीयता की भावना को कायम करना है, जाग्रत रखना है, बनाना है तो हिन्दी को जितना प्रोत्साहन मिल सके उतना देने की आवश्यकता है और इसी बात को दृष्टि में रख कर इस विधेयक का स्वागत होना भी बहुत जरूरी है।

मेरी तो शिकायत यह है कि सरकार दिल से हिन्दी की प्रगति नहीं चाहती है। आजतक यह कहा जाता है कि जो अहिन्दी भाषा प्रान्त हैं उनमें हिन्दी के प्रति विरोध

है। मैं समझता हूं कि जो हिन्दी प्रान्त हैं वे हिन्दी को इतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है जितना कि उसे दिया जाना चाहिये। इसका नतीजा यह हो रहा है कि हिन्दी की प्रगति उत्तरोत्तर गिरती जा रही है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां मुझे मालूम है सब न्यायालयों में हिन्दी में काम हुआ करता था। नीचे से लेकर हाईकोर्ट तक की अदालतों में हिन्दी में काम होता था। जब कभी बाहर से वहां कोई न्यायाधीश आते थे तो हमसे पूछते थे कि जिस तरह से अंग्रेजी आर्डर लिखे जाते हैं क्या उसी स्टैंडर्ड से हिन्दी में भी आर्डर लिखे जा सकते हैं? हम बराबर कहते थे कि आप देख लीजिये, किसी भी तरह कम्पेरिजन कर लीजिये, तुलना कर लीजिये, जो निर्णय हैं वे किसी भी अंश में अंग्रेजी निर्णयों से कम नहीं होंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे जैसे देश की प्रगति हुई, प्रान्त बढ़ते गये और छोटी इकाइयां दूर होती गई, वैसे वैसे हिन्दी को दबा दिया गया और आज वह नीचे हो गई है। अब तो परिस्थिति यह हो गई है कि जो छोटे छोटे मुन्सिफ हैं, मजिस्ट्रेट हैं, सिविल जज हैं, वे भी अपने फैसले अंग्रेजी में ही लिखते हैं चाहे वे गलत अंग्रेजी लिखते हों। उन लोगों को जो थोड़ा सा लैटीट्यूड मिल गया, सुविधा मिल गई, उसकी वजह से वे अब आर्डर्स, डिग्रियां और दूसरी चीजें अंग्रेजी में ही लिखना पसन्द करते हैं। इस तरह से वे लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। और हिन्दी की प्रगति को रोक रहे हैं। यह बात तो न्यायालयों की हुई। और भी जो विभाग हैं उनमें भी हिन्दी की यही दुर्दशा है। जहां तक मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग का सम्बन्ध है मुझे उनका एक सर्कुलर पढ़ने को मिला जिसमें उन्हें अंग्रेजी में हिन्दी की प्रगति के बारे में क्या क्या होना या करना चाहिये लिखा था। जब हम हिन्दी के बारे में अंग्रेजी माध्यम द्वारा कार्य करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि हम कभी भी हिन्दी को उठा नहीं सकते हैं और हिन्दी को जो स्थान मिलना चाहिये वह नहीं दिला सकते हैं।

अब जो नया विधेयक है कि १९६५ के बाद कौनसी भाषा होगी उसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। तो मेरी मान्यता यह है कि कम से कम जो हिन्दी भाषी प्रान्त हैं उनमें हिन्दी को प्रधानता मिलनी चाहिये, हिन्दी को बढ़ना चाहिये। दक्षिण भारत के लोगों को इस तरह का दोष नहीं दिया जाना चाहिये कि वे हिन्दी की प्रगति नहीं चाहते हैं। जब हिन्दी भाषी प्रान्त वाले लोग खुद हिन्दी की प्रगति नहीं चाहते हैं तो दक्षिण भारत के लोगों के ऊपर दोष देने का क्या मतलब है? मैंने देखा है कि दक्षिण भारत के लोगों को हिन्दी भाषा को समझने में वास्तविक कठिनाई होती है। लेकिन वहाँ जिन समस्याओं ने हिन्दी का प्रचार किया है वह बहुत ही अच्छा काम किया है। वहाँ हिन्दी का विरोध नहीं है लेकिन मैं कुछ व्यक्तियों के बारे में यह बात नहीं कह सकता हूँ। हिन्दी का जो विरोध करते हैं वे गद्दियों पर बैठे हुए हैं और सरकारी अफसर हैं, ब्यूरो-क्रेट हैं, जिन्होंने अंग्रेजी में परीक्षा दी है। वे जानते हैं कि अगर हिन्दी के माध्यम से सब कुछ होने लगेगा तो उनकी कुर्सी डगमगा जायेगी। इसलिए ऐसे ही लोग हिन्दी का विरोध कर रहे हैं जिनका स्वार्थ लगा हुआ है। जो सामान्य आदमी हैं, जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, सरकारी नौकरी से कोई मतलब नहीं है, वह हिन्दी का विरोध नहीं कर सकता है और न करेगा। मेरा निवेदन है कि जो हिन्दी भाषी प्रान्त हैं वहाँ कम से कम हिन्दी को उचित स्थान मिलना चाहिये। वहाँ की विधान सभा में, न्यायालयों में, मन्त्रालयों में तथा हर जगह हिन्दी को उचित स्थान मिलना चाहिये। मुझे बड़ी खुशी होती अगर यहाँ भी अधिकांश काम हिन्दी में ही जाता। लेकिन यहाँ जो परिपाटी है और कुछ कठिनाइयों की वजह से करीब ७०, ८० प्रतिशत काम अंग्रेजी में होता है। अगर यहाँ भी हिन्दी में सब काम होता तो मुझे बहुत खुशी होती।

अब इस विधेयक द्वारा इस सस्था को डिग्री देने का प्रावधान है। इस सस्था ने

दो शब्द निवेदन करने हैं। एक तो प्रयाग हिन्दी विद्यापीठ के बारे में है। सब लोग जानते हैं कि इस सस्था के बारे में काफी विवाद है। इस सस्था के लिए दो पार्टियाँ बनीं और अदालत तक प्रकरण चला। अब इस सस्था की स्थिति क्या है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन इस सस्था द्वारा जो डिग्रीयाँ दी गई हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने दो तीन बातें रखना चाहता हूँ। अभी तक 'हमारे यहाँ दो तरह के सर्टिफिकेट विद्या विनोदिनी के चलते थे। एक तो ब्रह्म देव द्वारा और दूसरे का नाम मैं नहीं जानता हूँ। अब यह विवाद खड़ा होना है कि कौनसा सर्टिफिकेट सही है और कौनसा गलत है। मुझे मालूम नहीं मद्रास में भी पार्टियाँ हैं या नहीं, वहाँ भी दो अलग अलग सस्थाएँ चल रही हैं या नहीं। प्रयाग हिन्दी विद्यापीठ के बारे में मैं निश्चिन्त रूप में कह सकता हूँ कि उसकी डिग्रीयों का दुरुपयोग इस तरह से हो रहा है कि उसके ऊपर जिनका जल्दी प्रतिबन्ध लगा दिया जाय उतना ही अच्छा होगा। इसी तरह से जो स्टैंडर्ड है, स्तर है, उसके बारे में मुझे कुछ कहना है। जब हम डिग्री देते हैं तो उसका स्टैंडर्ड नौकरी पाने के लिए आ जाता है और इसलिए होड़ लगती है। तो यह प्रलोभन होता है कि अगर वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी अच्छी होगी, वहाँ के कर्णधार अच्छे होंगे तो वहाँ का सर्टिफिकेट भी अच्छा होगा। लेकिन जहाँ तक प्रयाग के विद्यापीठ का सवाल है उसके सर्टिफिकेट के लिए एक तरह से होड़ लगी रहती है। इसका नतीजा यह होता है कि सस्था वाले भी यह देखते हैं कि हमारे यहाँ से विद्यार्थी ज्यादा पास हो, उनकी सख्या बढ़े और इस तरह से उनकी कमाई ज्यादा हो। इसी तरह से हमारे ग्वालियर में विद्या विनोदिनी की परीक्षा पास करके सैकड़ों की तादाद में रोजाना लडकियाँ निकलती हैं। वहाँ पर बहुत नकल होती है और पचास किस्म की बात होती हैं जिनको यहाँ पर कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरी सरकार और मन्त्री जी से यद्द प्रार्थना है कि उन्हें इस बारे में ध्यान

[श्री रमेश चन्द्र शंकर राव खांडेकर]

देना चाँहि कि इस तर से सर्टिफिकेटों का दुरुपयोग न हो और उसका जो स्तर है व ठीक तर से कायम रहे । आपने इनको स्टैंडर्ड डिग्रियाँ माना है, लेकिन उनको सरकारी नौकरी में भी मान्यता दे दी है, य मुझे मालूम नहीं है । लेकिन माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि कुछ परीक्षाओं को मैट्रिक और इण्टर तक मान लिया गया है । लेकिन नौकरी देते समय हमने मेशा देखा है कि जो बी० ए० और बोर्ड के पास किये होते हैं, उन्ही को प्रधानता मिलती है । ऐसी जो संस्थाएँ हैं उनके उम्मीदवारों को यह कह कर नहीं लिया जाता कि उनका स्तर अच्छा नहीं है, उनमें नकल होती है, उनका कोर्स बड़ा छोटा हो गया है और जो जांचने का तरीका है व भी सही नहीं है । इसी तर से हम जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में और बोर्ड के एग्जामिनेशन में किस प्रकार की धांधली होती है । लेकिन ये देचारे जो इस तर से इसमें से पास होते हैं, इस तर से उत्तीर्ण होते हैं उनको व नौकरिया नहीं मिलती हैं । तो जब तक आप उनकी डिग्रीज़ को रिकगनाइज़ करके उनको मान्यता दे करके उनको नौकरियाँ नहीं देंगे, तब तक इसका कोई उपयोग नहीं होगा ।

सरकारी नियन्त्रण के बारे में मेरा यह निवेदन है कि यह बहुत अच्छा काम है और सरकारी नियन्त्रण जहाँ बहुत आवश्यक हो वही होना चाँहि । अगर हर बात में सरकार किसी भी स्वायत्त संस्था में हस्तक्षेप करे तो व ठीक नहीं होगा और खास करके ऐसी उपयोगी संस्था में, क्योंकि सरकार के दृष्टिकोण में और वालंटरी आर्गनाइज़ेशन्स के दृष्टिकोण में मेशा फर्क होता है । इसलिये मैं चाँहि हूँ कि जितना कम से कम हस्तक्षेप सरकार करे उतना ही अच्छा है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ ।

SHRI B. RAMAKRISHNA RAO (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I rise to support this Bill and welcome it wholeheartedly. I am sorry that my friend, Shri M. Satyanarayana, to whose indefatigable energy and continuous work we owe the progress which the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha has made, is not present today to speak on this Bill. In his absence, therefore, I thought it necessary that I should support it and express my views on behalf of the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, if I may say so. I do so because I have been rather intimately connected with this institution for the last eight years. I have been one of its Vice-Presidents, and I have closely followed the useful work that this institution has been doing at least during the last eight years during which period I was associated with it.

As we have all been told by the hon. Education Minister, this institution owes its origin to the inspiration of the Father of Nation, Mahatma Gandhi. During the last 45 years, the figures which he has revealed before us show that 7 million people in South India have received instruction in Hindi. I need not say very much about it because I would be in a way speaking on behalf of the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha. Seven thousand Pracharaks, are working at present, and besides these seven thousand Pracharaks and the regular Branches of the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, there are several hundreds of Hindi Premi Mandals or Hindi Lovers Associations throughout Andhra Pradesh, Mysore State, Tamilnad and Kerala. I have had some experience of Kerala, and of course as I come from Andhra Pradesh I can speak for that State in a more authoritative manner. I have not acquainted myself very much or more closely with the work that is being carried on in Mysore State but I know something of it in my capacity as Vice-President of the Sabha. I can

say, Sir, without fear of contradiction that the work that has been carried on by the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha in all these four southern States has been done in a very very systematic manner. Examinations are held in the various centres that have been fixed, and examiners are appointed who are above suspicion. Certificates are granted in time. The Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha holds a convocation every year, and it is just as good a convocation as that of any other university in the country. I myself once had the privilege of addressing a convocation and also several other friends. I believe also the hon. Education Minister addressed a convocation and saw for himself rather in detail the work that is being done by this Sabha.

As a matter of fact this Bill which has been moved today for recognising the work of the Sabha and conferring upon it the status of a national institution comes somewhat late in the day, if I may be allowed to say so. It should have come long ago not merely because the object would be to recognise the service rendered by this Sabha but it would facilitate its further work and expand its activities. During the last few months this proposal was discussed and consultations took place between the authorities of the Sabha and the Education Ministry—and on more than one occasion I was also associated with them—there was absolutely no difference of opinion on any major point. There were naturally certain doubts with regard to the extent of the control which the Government of India would like to have over the activities, the rules and regulations and the conduct of affairs of the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha. As you know, Sir, this institution has been working more or less in a fully autonomous manner and there has been no outside control except the control of the Board of Trustees and the Governing Body, and naturally certain doubts arose when the draft of the Bill was before the

members of the Body. But all those doubts have been cleared and—thanks to the generous manner in which the hon. Minister of Education looked at the views of the authorities of the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha—all those difficulties have now been solved.

I welcome this Bill and I do hope that the objects for which the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha stands will be promoted by the passing of this Bill into an Act. It is true that in a way the powers of the organisation will be somewhat restricted, but that restriction is going to promote the objects of the Sabha, and therefore I welcome those two clauses, clauses 6 and 7. It is true that clause 6 of the Bill says that even an extension of the purposes for which the Sabha has been established should not be undertaken without the previous permission of the Government of India. Normally, the extension of the purposes or the activities in directions which come under the objectives need not be regulated, but as a matter of fact I do think after the assurance given by the hon. Minister of Education that if any extension of its activities is contemplated by the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha in a proper manner and within the main objective of the Sabha, there will be little difficulty in securing the permission of the Government of India. After all the intention of the Government of India is the same as that of the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha which wants to extend the knowledge of Hindi in South India.

I may tell my friends of Northern India who may not be so well acquainted with the trends in South India that besides the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha there are several other institutions for the promotion of learning Hindi and they are also doing useful work, so that it is not merely the 7 million people in South India who know Hindi but there

[Shri B. Ramakrishna Rao.]  
are many more who are eager to learn Hindi. Several other non-official organisations in the South are also catering to the needs and requirements of such intending students. As I said, in spite of the slight restriction that has been placed on the freedom of the Sabha, I do hope that, the objects of the Government and the Sabha being the same, there will be no difficulty at all if at any time the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha wants to expand its activities. The object as stated in the constitution and the rules and regulations of the Sabha is so wide and comprehensive that any legitimate activity and any extension of it will certainly come under it, and I do not think any question of difference of opinion will arise as has been assured by the hon. Minister.

5 P.M.

Similarly, clause 7 makes provision for the appointment of reviewing committees.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): Mr. Rao, you want more time or you are concluding?

SHRI B. RAMAKRISHNA RAO: I will finish in a couple of minutes.

The object of appointing these reviewing committees is to see what work has been done and evaluate the work that has already been done. And probably these committees will also help in suggesting ways and means of promoting the objectives by undertaking certain useful activities other than what the Sabha has already undertaken. Certain instances suggest themselves to me. Recently, there has been a move in some of the Northern States of India, for example Uttar Pradesh, where an attempt is being made by the Government of

the State to encourage the learning of South Indian languages. Some centres have been fixed by the Government of Uttar Pradesh and they have been in contact with the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha for various suggestions and help in the matter of supplying teachers or in the matter of preparing the syllabi and providing text-books, etc. Now, such kind of help the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha is very competent to give and it is extending that assistance. I have myself been responsible for getting certain syllabi prepared for these classes which have been opened in Uttar Pradesh for teaching Tamil, Kannad and Telugu and such other South Indian languages. Now, certain text-books will have to be prepared not for use in South India but for use in North India for the students in the classes opened in Uttar Pradesh, for example. Such activities require financial responsibility which the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha is not at present capable of bearing. There are several activities which require financial assistance also from the Government. I do not indulge in any special pleading for financial assistance by the Government of India because I happen to be closely associated with the Sabha, and whenever we need any help from the Government, we will certainly approach the Government. Particularly, as all other hon. Members have stressed this point, it is needless for me, I think, to add to their appeal to the Government.

I do not wish to take the time of the House any longer. I am extremely happy that this Bill has been moved by the hon. Education Minister in this session. It should have come up in the last session and I was even afraid that it might not come up during this session owing to several other factors. But I am very happy that Dr. Shrimali has been good enough to introduce this Bill in this



House. It is a very non-controversial Bill and I do hope that the House will give its fullest approval. I also support the Bill and I support the plea made by all other hon. Members that the Government of India will hereafter consider such financial assistance as well be necessary for the Sabha with sympathy. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): The House stands adjourned till 11.00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at four minutes past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 29th August 1963.